UPBJ010030952026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Prashant Mittal), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06174**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–888/2026

मु0अ0सं0–362/2025
धारा–110,115(2),333,352 बी0एन0एस0 व
धारा 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–स्योहारा, जिला बिजनौर।

दिनांक–03–04–2026

1– यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त अरविन्द कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं0 362/2025, अन्तर्गत धारा 110,115(2),333,352 बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर के प्रकरण में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र कुलदीप कुमार त्यागी पुत्र रोहिताश सिंह त्यागी द्वारा समर्थित है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया। वादिनी मुकदमा को जमानत प्रार्थना पत्र की सूचना प्राप्त है परन्तु वह उपस्थित नहीं है।

3– वादिनी मुकदमा श्रीमति मुस्कान द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी ग्राम महमूदपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर की निवासी है। घर की जमीन के बंटवारे को लेकर प्रतिपक्षीगण अरविन्द, कविता ने कोर्ट में मुकदमा चला रखा है। उसके पश्चात भी प्रतिपक्षीगण अपने पुत्र खुश, बंधना के साथ प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार के साथ मां बहन की गन्दी गन्दी गाली गलौच करते रहते हैं और जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए चमार चट्टा कहते रहते हैं। दिनांक 14–09–2025 को समय करीब सुबह 10:30 बजे प्रार्थिनी अपनी सास निर्देश के साथ घर पर अकेली थी। तभी उपरोक्त प्रतिपक्षीगण हाथो में लाठी डन्डे व धारदार हथियार लेकर मां बहन की गन्दी गन्दी गाली गलोच देते हुए घर के अन्दर घुस आये और घुसते ही जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी की सास के सिर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे प्रार्थिनी की सास के सिर में चोट खुल गयी। प्रार्थनी ने बचाने का प्रयास किया तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थिनी को मां बहन की गन्दी गन्दी गाली गलौच दी और मारपीट किया। अरविन्द ने

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.04.03 16:15:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारपीट के दौरान अश्लील शब्दो का प्रयोग किया और अश्लील हरकते करने का प्रयास किया तथा चमार चट्टा कहा। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा में प्राथमिकी मु0अ0सं0 362/2025 अन्तर्गत धारा 74, 79, 109(1), 115(2), 333, 352 बी0एन0एस0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 333,110,115(2),352 बी0एन0एस0 व 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण खारिज हुआ। इसके पश्चात प्रार्थी ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 74, 79, 109(1), 115(2), 333, 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5 एस0सी0,एस0टी0 एक्ट में दाखिल किया जो इस न्यायायल द्वारा खारिज हुआ। तब प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र लगाया। इस दौरान तफतीश पूरी हुई तथा प्रार्थी व सहअभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ, जिसमें धारा 74, 79, 109(1) बी0एन0एस0 व 3(2)5 एस0सी0,एस0टी0 एक्ट का अपराध नहीं पाया गया तथा धारा 333,110,115(2),352 बी0एन0एस0 व 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन धाराओं मे प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में लगा जमानत का प्रार्थना पत्र वापस लिया तथा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे रहा है। आघात आख्या में सभी चोटे साधारण मालूम पडती हैं। चिकित्सीय आख्या में धारदार हथियार की कोई चोट नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय हैं तथा सतेन्द्र अन्टिल बनाम सरकार में प्रतिपादित सिद्धान्त से प्रार्थी का केस कवर होता है। प्रस्तुत आरोपों में धारा 110 बी0एन0एस0 का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी को किसी न्यायालय से सजा नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी विश्वसनीय जमानत दाखिल करने को तैयार है। उक्त कथनों के साथ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने अनुसूचित जाति की वादिनी के घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों को प्रयोग करते हुए गाली गलौच करके अपमानित किया, मारपीट किया तथा उसकी सास पर हमला करके गम्भीर रूप से घायल किया है। इन्ही धाराओं में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय से गुणदोष के आधार पर निरस्त हो चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा को अनुसूचित जाति की जानते हुए उसके घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौच कर अपमानित करने, मारपीट करने व उसकी सास पर हमला करके

गम्भीर रूप से घायल करने के आरोप हैं। केस डायरी पर उपलब्ध चुटैल निर्देश की चिकित्सीय आख्या के अनुसार चुटैल निर्देश के शरीर पर 04 चोटे आना दर्शाया गया है, जिनमें से चोट सं0 2 सिर पर बांयी तरफ एल.डब्लू. 03 सेमी0 X 0.5 सेमी0 हड्डी की गहराई तक तथा अन्य दो चोटे भी सिर पर ही आयी हैं। जो कि चुटैल के मर्म स्थान(सिर) पर हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इसी प्रकरण में धारा 74, 79, 109(1), 115(2), 333, 352 बी0एन0एस0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र गुण दोष के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–09–2025 को निरस्त किया जा चुका है। द्वित्तीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13–11–2025 को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है तथा तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110 बी0एन0एस0 भी दिनांक 24–11–2025 को इस न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। कोई नया तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किए बिना अभियुक्त का चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त का चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अरविन्द कुमार का उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(प्रशान्त मित्तल)
प्रभारी, विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी0ए0) एक्ट,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.06174